राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(252)ग्राविवि / ग्रुप--5 / जीकेएन / एसओपी / 2016–17

जयपुर, दि. 27 मार्च, 2018

स्थाई आदेश संख्या– 36/2018

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में सम्पदित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए विभागीय परिपत्र कमांक एफ 27(79) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.09.2014 एवं स्थाई आदेश संख्या 32/2017 दिनांक 13.04.2017 (एफ 27(263) ग्रावि/ अनु–5/जीकेएन/उपापन/ 2015–16/ Eo.No. 92279) द्वारा निर्धारित शिड्यूल ऑफ पॉवर्स के मूल्यांकन जॉच एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में परिशिष्ट 5 में वर्णित तकनीकी अधिकारियों को प्रदत शक्तियों को प्रत्याहारित कर निम्नानुसार शक्तियाँ प्रद्त की जाती है :–

परिशिष्ट : 5 उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन जांच एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

क. सं.	मद	स्वीकृतकर्ता अधिकारी / समिति जिसको शक्तियाँ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)	शर्ते / टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1 (अ)	1. मूल्यांकन जांच करना	JEN	5 लाख तक	शर्ते पत्र दिनांक 17.9.2014 के परि. 5 में वर्णित शर्ते संख्या 3 के स्थान पर कॉलम संख्या 4 में वर्णित वित्तीय सीमा तक मूल्यांकन जांच करने हेतु अधिकृत तकनीकी अधिकारी ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। उक्त शर्त संख्या 3 के अतिरिक्त शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी। साथ ही संविदा पर कार्यरत व्यक्तियो को मूल्यांकन जांच करना, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी प्रकार की वित्तीय शक्तियां नहीं होगी।
		AEN	15.00 लाख तक	
		EE	50.00 लाख तक	
		SE	100.00 लाख तक	
		ACE	पूर्ण शक्तियां	
	2. पूर्णता प्रमाण पत्र	JEN	महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ श्रेणी (केटेगरी 4) के राशि रूपये 3 लाख तक की लागत के कार्य एवं अन्य विभागीय योजनाओं मे (हैण्डपम्प, ट्यूबवेल के कार्यो को छोड कर) 1 लाख तक स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यो के पूर्णता प्रमाण –पत्र कनिष्ठ अभियंता द्वारा जारी किये जा सकेंगे। शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।	
		AEN	15.00 लाख तक	
		EE	50.00 लाख तक	

उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पावर्स में संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों (JTA / STA) को मूल्यांकन जांच करना,

D:\kamal\1 letter 2018.docx

पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आदि किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं होगी।

वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801752 दिनांक 26.03.2018 के अनुसरण में जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

27.3.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ट शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रावि एवं पंरावि/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
3. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
6. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
9. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
10. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।
12. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी/जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग, जि. प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं. स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि.